न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 54/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1 लक्ष्मणराम जाट पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम दलतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1 राज्य सरकार जरियेः– तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अनावेदक/अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

1 श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील वादी ओर सें।

निर्णय **दिनांक –**

1 यह है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 409, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 480 कुल किता 11 कुल रकबा 12.18 है0, ख.नं. 580, 581, 582, 583 कुल किता 4 कुल रकबा 2.08 है0 व भूमि खसरा नम्बर 406 ता 408 किता 3 कुल रकबा 2.67 हैक्टर वाके ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी/आवेदक का हक, हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थी/आवेदक के नाम से ग्राम दलतपुरा की भूमियो में उसका नाम पप्पू पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज है। जबकि प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मणराम जाट पुत्र जगदीश प्रसाद है। प्रार्थी/आवेदक को दोनो ही नाम यथा पप्पूराम व लक्ष्मणराम के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है। प्रार्थी/आवेदक के अन्य दस्तावेज यथा–परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंव अन्य समस्त रिकार्ड में लक्ष्मणराम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मद संख्या एक के अनुसार गलत रूप से दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी/आवेदक को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियो से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बन्धित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना–पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थी/आवेदक के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 10–12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ

Scanned with CamScanner

कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र जगदीश प्रसाद को दुरूस्त कर सही व वास्तविक रूप से "लक्ष्मणराम जाट पुत्र जगदीश प्रसाद" संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2 आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। आवेदन पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावजेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र जगदीश के स्थान पर पप्पू उर्फ लक्ष्मण पुत्र जगदीश किया जाना उचित है। अतः **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम दलतपुरा पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 409, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 480 कुल किता 11 कुल रकबा 12.18 है0, ख.नं. 580, 581, 582, 583 कुल किता 4 कुल रकबा 2.08 है0 व भूमि खसरा नम्बर 406 ता 408 किता 3 कुल रकबा 2.67 हैक्टर में प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र जगदीश प्रसाद के स्थान पर पप्पू उर्फ लक्ष्मणराम जाट पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज किये जाने तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner